राजस्थान सरकार विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-25(55)न्याय/2015-iv

जयप्र, दिनांक:

<u>आदेश</u>

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा गठित Committee for Service Conditions of the District Judiciary (CSCDJ) की बैठक दिनांक 15.02.2024 के एजेंडा क्रमांक-3 में संकल्प पारित किया गया कि:-

"CONSIDERATION AS NOTIONAL FIXATION ON PROMOTION Etc.:-

With a view to do away the anomaly arising on pay fixation on promotion, it was resolved by the Committee vide minutes dated 15.02.2024 (Agenda no.-3) that all officers promoted after 01.01.2016 shall be notionally fixed in the revised pay scales (Promoted) from the date of promotion order and actual benefit shall be given from the date of joining."

उपरोक्त संकल्प केअनुसरण मेंनिम्नानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है,

"that all Judicial Officers promoted after 01.01.2016 shall be notionally fixed in the revised pay scales (Promoted) from the date of promotion order and actual benefit shall be given from the date of joining."

यह प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 212400833 दिनांक 05.11.2024 पर प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आजा से

(ब्रजेन्द्र कुमार जैन) प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित है:-

- 1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3. रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, वित्त विभाग, जयपुर।
- 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाईन प्रकाशन करवाने हेत्।
- 7. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव, विधि

Document certified by BRAJENDRA KUMAR JAIN <judgeCBI2015@gmail.com>.

Digitally Signed by BLAJENDRA KUMAR JAN Designation Principal Secretary To Government

Date :12-03-2025 11:59:23

RajKaj Ref No.: 13932841